न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

1. बच्चूलाल तनय पुनैवा धोबी
2. गोकल तनय पुनौवा धोबी
3. अनन्दी तनय पुनौवा धोबी

निवासी ग्राम पठारीकलां तह. बिजावर जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 560/अ–6/13–14 पारित आदेश दिनांक 20/7/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पठारीकलां स्थित भूमि खसरा क्र 633 एंव 742 रकवा क्रमशः 0.624 व 1.076 हे भूमि निगरानीकर्तागण के पिता पुनौवा के स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि थी जिस पर वह मालिक काबिज होकर काश्तकारी करते रहे तथा उनके स्वर्गवास उपरांत निगरानीकर्तागण भूमि पर काबिज है। वर्ष 1984–85 में बिना किसी सक्ष्म अधिकारी के आदेश के पांचशाला खसरा में प्र.क्र. 128/अ–6/84 आदेश दिनांक 18/12/84 लेख कर वादग्रस्त भूमि को शासकीय लेख किया गया जबकि उक्त कोई प्रकरण पंजीबद्व ही नहीं किया गया। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर निगरानीकर्तागण द्वारा अभिलेख सुधार किए जाने हेतु एक अपील अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह मान्य किया गया कि उक्त प्रकरण जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि शासकीय लेख की गयी है कभी भी पंजीबद्व ही नहीं हुआ है परंतु उनके द्वारा अभिलेख सुधार किए जाने का आदेश पारित नहीं किया गया जिस कारण से आवेदकगण द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अपर आयुक्त सागर द्वारा अंशितः स्वीकार पर अनुविभागीय अधिकारी

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2589/I/16 जिला Gwalior

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-8-16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्र.क्र. 560/अ–6/वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 20/7/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदकगण के तर्क में कहा गया कि मौजा पठारीकलां स्थित भूमि खसरा क्र 633 व 742 रकवा क्रमशः 0.624 व 1.076 हे भूमि आवेदकगण के पिता के नाम पर दर्ज उनके निजी स्वामित्व की भूमि है जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के शासकीय लेख किया गया है जिस कारण से उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा मान्य किया गया है कि जिस प्रकरण क्र व आदेश दिनांक के आधार पर भूमि शासकीय दर्ज किया जाना लेख किया गया वह प्रकरण दर्ज ही नहीं है, परंतु उनके द्वारा अभिलेख सुधार नहीं किया गया जिस कारण आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अंशितः स्वीकार किया जाकर प्रकरण अनु.वि. अधि. को गुणदोषों पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया परंतु अनु.वि.अधि. द्वारा प्रकरण का गुणदोषों पर निराकरण नहीं किया गया जिस कारण से आवेदकगण द्वारा पुनः अपर आयुक्त सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपर आयुक्त सागर बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण का तर्क है कि वर्ष 1953 से लगातार वर्ष 1984 तक प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पिता पुनौवा के नाम पर दर्ज थी। बिना किसी अधिकारी के आदेश के मनमाना प्रकरण क्रमांक व आदेश का उल्लेख कर भूमि शासकीय लेख की गयी है जिसको अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मान्य किया गया है इस कारण से अभिलेख सुधार कर आवेदकगण का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था।	

R-2589. I/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

4— आवेदकगण का तर्क है कि जब अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर अनु.वि.अधि. बिजावर को प्रत्यावर्तित किया गया तब उनको वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है प्रकरण वर्ष 1998 से विभिन्न न्यायालय में लंबित है इस कारण से वर्ष 2011 में संहिता में हुए संशोधन इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4— उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में संलग्न पांचशाला खसरा के आवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1953 से 1984 तक प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के पिता के नाम पर दर्ज थी। अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के आदेश दिनांक 26/12/2000 के आवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण 128/अ—6/84 आदेश दिनांक 18/12/84 दर्ज नहीं है जिसके द्वारा भूमि शासकीय लेख की गयी है। अपर आयुक्त सागर द्वारा आदेश दिनांक 20/1/06 के माध्यम से प्रकरण गुणदोषों पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था जिस कारण से अनुविभागीय अधिकारी बिजावर को प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त मैं अपर आयुक्त सागर एंव अनुविभागीय अधिकारी बिजावर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 20/7/16 एंव अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 26/05/14 निरस्त किए जाते है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो

सदस्य